रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 84] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 26, 2013/चैत्र 5, 1935
No. 84] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 26, 2013/CHAITRA 5, 1935

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 18 मार्च, 2013

सं. टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस.—भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए निदेश के अनुपालन में और "महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए मार्गदर्शिका, 2004" की धारा 1.2 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, 31 मार्च, 2005 के आदेश सं. टीएएमपी/23/2003-डब्ल्यूएस द्वारा अधिसूचित "महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए मार्गदर्शिका, 2004" की वैधता को विस्तारित करता है ।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस

आदेश

(मार्च, 2013 के 13वें दिन पारित)

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नीति निर्देशों के अनुपालन में इस प्राधिकरण द्वारा 31 मार्च, 2005 को राजपत्र सं. 39 के द्वारा भारत के राजपत्र में "महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए मार्गदर्शिका, 2004" अधिसूचित की गई थी । ये मार्गदर्शी 31 मार्च, 2005 से प्रभावी हुए थे और जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा पहले समीक्षा नहीं की जाती अथवा इन्हें विस्तारित नहीं किया जाता है, मार्गदर्शिका के खंड 1.2 में यथाविनिर्दिष्ट, 5 वर्षों की अवधि तक अर्थात् 31 मार्च, 2010 तक प्रभावी रहेंगे ।

2. भारत सरकार के पोत मंत्रालय की सलाहानुसार, इस प्राधिकरण ने "महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए मार्गदर्शिका, 2004" की वैधता को समय-समय पर विस्तारित किया था । पिछली बार 30 जून, 2012 से दिसंबर, 2012 तक अथवा अगला आदेश पारित होने तक, जो भी पहले हो, विस्तारित किया गया था । यह आदेश राजपत्र सं. 175 के माध्यम से भारत का राजपत्र में दिनांक 16 अगस्त, 2012 को अधिसूचित किया गया था ।

3. भारत सरकार के पोत मंत्रालय ने अब अपने पत्र सं. पीआर-14019/20/2009-पीजी, दिनांक 8 मार्च, 2013 के द्वारा इस प्राधिकरण को सलाह दी है कि "महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए मार्गदर्शिका, 2004" की वैधता को 30 जून, 2013 तक अथवा अगला आदेश पारित होने तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित किया जाए ।

4. तदनुसार, "महापत्तनों में प्रशुल्क विनियमन के लिए मार्गदर्शिका, 2004" की वैधता को 30 जून, 2013 तक अथवा अगला आदेश पारित होने तक, जो भी पहले हो, के लिए विस्तारित किया जाता है ।

रानी जाधव, अध्यक्षा

[विज्ञापन III/4/143/12-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th March, 2013

No. TAMP/21/2009-WS.—In compliance of the direction issued by the Government of India in Ministry of Shipping and in exercise of the powers conferred under clause 1.2 of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004', the Tariff Authority for Major Ports hereby further extends the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' notified *vide* Order No. TAMP/23/2003-WS on 31st March, 2005, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

No. TAMP/21/2009-WS

ORDER

(Passed on this 13th day of March, 2013)

The 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' were notified in the Gazette of India on 31 March, 2005, *vide* Gazette No. 39 by this Authority in compliance of policy directions issued by the Government of India under Section 111 of the Major Port Trusts' Act, 1963. These guidelines came into effect from 31 March, 2005 and as stipulated in clause 1.2 of the guidelines, will remain in force for a period of 5 years, i.e. up to 31 March, 2010, unless reviewed earlier or extended by this Authority.

2. As advised by the Government of India in the Ministry of Shipping this Authority extended the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' from time to time and the last extension from 30 June, 2012 till December, 2012 or until further orders whichever is earlier was notified in the Gazette of India on 16 August, 2012 *vide* G. No. 175.

3. The Government of India in the Ministry of Shipping now, *vide* its letter No. PR-14019/20/2009-PG dated 8 March, 2013, has requested this Authority to further extend the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' till 30 June, 2013 or until further orders, whichever is earlier.

4. Accordingly, the validity of the 'Guidelines for Regulation of Tariff at Major Ports, 2004' is further extended till 30 June 2013 or until further orders whichever is earlier.

RANI JADHAV, Chairperson

[ADVT. III/4/143/12-Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.